| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | आषाढ़ 11, गुरूवार, शाके 1942–जुलाई 2, 2020 *Asadha 11 , Thursday, Saka 1942–July 2, 2020* | |


भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जून 26, 2020**

**जी.एस.आर. 177:**–राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन ''संशोधन'' नियम, 2020 है।

   (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 में संशोधन : राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के विद्यमान नियम 14–ए को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है : – ''14–ए लम्बित प्रकरणों पर निर्णय हेतु समिति : – इन नियमों के अधीन लम्बित प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु एक समिति निम्नानुसार होगी :–

| | |
|---|---|
| 1. श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री, राजस्थान सरकार | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार | सदस्य |
| 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार | सदस्य |
| 4. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार | सदस्य सचिव |

**[संख्या प0 6(80)साप्र/6/76]**

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

महेश चन्द्र शर्मा,

**विशिष्ट शासन सचिव।**



**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**